

"जीवन की तरह विधि भी स्थिर नहीं होती है।" सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ विधियों में भी परिवर्तन अवश्यभावी है। "विधि लक्ष्य नहीं, बल्कि लक्ष्य पूर्ति का साधन है।"

विधि और समाज के बीच गहरा संबंध है। विधि वह माध्यम है जो समाज को नियंत्रित, नियामित और शासित करती है। यह समाज की आवश्यकताओं, परिस्थितियों, और समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है।

### 1. विधि की परिवर्तनशीलता (Dynamism of Law):

#### ○ जीवन और विधि का संबंध:

जैसे जीवन में समय के साथ बदलाव आते हैं, वैसे ही समाज और सामाजिक परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं।

◆ उदाहरण: किसी समय जाति आधारित व्यवस्थाएं समाज में सामान्य थीं, लेकिन आधुनिक काल में समानता और मानवाधिकारों पर बल दिया गया है।

◆ इसी तरह, विधियों में भी समय और समाज के अनुसार बदलाव करना अनिवार्य है। यह विधि को प्रासंगिक और समाजोपयोगी बनाता है।

◆ निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि "जीवन की तरह विधि भी स्थिर नहीं होती।"

### 2. सामाजिक परिवर्तन और विधि:

○ विधि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।

○ समय-समय पर सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए विधि में बदलाव हुए हैं।

#### ◆ उदाहरण:

○ दहेज प्रथा रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम, 1961।

○ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005।

○ समानता के अधिकार के लिए अनुच्छेद 14-18 (भारतीय संविधान)।

### 3. विधि: लक्ष्य पूर्ति का साधन:

○ विधि का उद्देश्य समाज को दिशा और संरचना प्रदान करना है। यह स्वयं लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है।

○ लक्ष्य: समाज में शांति, सुरक्षा, न्याय और समानता सुनिश्चित करना।

◆ जैसे: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) ने शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और निशुल्क बनाया।

◆ बाल श्रम निषेध अधिनियम ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा की।

विधि स्थिर नहीं है, बल्कि यह समाज के साथ-साथ बदलती रहती है। अगर विधि समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ तालमेल नहीं बिठाती, तो वह अप्रासंगिक और निष्क्रिय हो जाती है। अतः विधि को समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार लचीला और परिवर्तनशील होना चाहिए।

एक समय था जब देश में **देवदासी प्रथा**, **बहुपत्नी प्रथा**, **सती प्रथा** जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थीं और इन पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं था। समय के साथ सामाजिक परिस्थितियों और मान्यताओं में परिवर्तन आया, जिससे इन प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। आज इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे **सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1987**, जिसने सती प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित किया।

यदि हम अतीत पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि हमारा समाज बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, कन्या भ्रूण हत्या, और महिलाओं, बच्चों, व श्रमिक वर्ग के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त था। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए विभिन्न सुधार आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। **राजा राममोहन राय**, **स्वामी**

**विवेकानंद, महात्मा गांधी,** और अन्य समाज सुधारकों ने इन बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। कालांतर में, इन आंदोलनों को विधिक रूप में परिणत किया गया, और कानूनों के माध्यम से सामाजिक सुधारों को लागू किया गया। समाज और विधि का आपसी प्रभाव ऐसा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ विधियों में बदलाव आया और विधियों के कारण समाज में भी बदलाव संभव हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, देश में अनेक नए कानून बनाए गए और पुराने कानूनों में संशोधन किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला।

## **समाज में परिवर्तन लाने वाली प्रमुख विधियाँ:**

### **1. सामाजिक न्याय से संबंधित विधियाँ**

- जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने वाले कानून (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989)
- महिलाओं को समान अधिकार देने वाले कानून (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956)

### **2. सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियाँ**

- श्रमिक कल्याण के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

### **3. महिलाओं और बच्चों के संरक्षण हेतु कानून**

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012

### **4. शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देने वाले कानून**

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### **5. धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित विधियाँ**

- धर्मांतरण विरोधी कानून
- धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान

समाज और विधि एक-दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव के साथ विधियों में भी बदलाव अनिवार्य है। विख्यात विधिशास्त्री **जेरेमी बेन्थम** के अनुसार, "विधि वही अच्छी होती है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाए।" भारतीय संविधान भी इस सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो समाज में बदलाव के अनुरूप कानून बनाने और उन्हें संशोधित करने की प्रक्रिया को बल प्रदान करता है। इस तरह, कानून और समाज के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होता है, जो दोनों को प्रगतिशील बनाता है।

## **बढ़ते लैंगिक अपराध और बदलती विधियाँ**

लैंगिक अपराधों में वृद्धि ने समाज और विधि व्यवस्था को गंभीर चुनौतियों के सामने खड़ा किया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, जैसे बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बढ़ती घटनाओं के कारण विधियों में समय-समय पर बदलाव और सुधार हुए हैं।

## **बढ़ते लैंगिक अपराधों के कारण**

- 1. पितृसत्तात्मक सोच:** महिलाओं को कमजोर और अधीनस्थ मानना।
- 2. अशिक्षा और जागरूकता की कमी:** लैंगिक समानता के प्रति समाज में जागरूकता की कमी।
- 3. कानून का भय कम होना:** दोषियों को समय पर सजा न मिलना।
- 4. डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग:** सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साइबर क्राइम।
- 5. महिला स्वतंत्रता का विरोध:** महिलाओं की प्रगति को स्वीकार न कर पाना।

## बदलती विधियाँ और सुधार

### 1. दुष्कर्म से संबंधित कानूनों में बदलाव:

#### ● निर्भया कांड (2012) के बाद संशोधन:

- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 375 और 376 में संशोधन।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 में बदलाव कर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।
- दोषियों के लिए सख्त सजा, जैसे मृत्युदंड।

#### ● यौन उत्पीड़न की परिभाषा का विस्तार: शारीरिक हिंसा के साथ-साथ मानसिक उत्पीड़न को भी शामिल किया गया।

### 2. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act):

- बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कानून।
- इसमें बच्चों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त दंड का प्रावधान है।

### 3. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act):

- महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा।
- शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और यौन शोषण पर नियंत्रण।

### 4. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Prevention of Sexual Harassment - POSH Act, 2013):

- कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशेष कानून।
- शिकायतों के लिए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन।

### 5. एसिड अटैक से संबंधित कानून:

- एसिड अटैक को रोकने के लिए धारा 326ए और 326बी लागू।
- एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम।

### 6. साइबर अपराध और महिलाओं की सुरक्षा:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 के तहत महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न पर कार्रवाई।
- रेवेज पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग पर विशेष कानून।

### 7. किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015:

- गंभीर लैंगिक अपराध करने वाले किशोरों के लिए प्रावधान कि उन्हें वयस्कों के रूप में सजा दी जा सके।

## वर्तमान और भविष्य के सुधार की जरूरतें

### 1. कानूनों का कठोर कार्यान्वयन:

- दोषियों को सजा दिलाने में देरी न हो।

### 2. सामाजिक जागरूकता:

- लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और प्रचार।

### 3. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी:

- साइबर सुरक्षा के लिए नई तकनीकों का उपयोग।

### 4. पुलिस और न्यायपालिका में सुधार:

- पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण।

### 5. महिलाओं को सशक्त बनाना:

- आत्मरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर।

**बढ़ते लैंगिक अपराध केवल एक कानूनी समस्या नहीं हैं, बल्कि यह समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ा मुद्दा है। विधियों में बदलाव आवश्यक हैं, लेकिन इसके साथ समाज में मानसिकता बदलना भी अनिवार्य है। महिलाएं तभी सुरक्षित होंगी जब कानून प्रभावी होंगे और समाज लैंगिक समानता को स्वीकार करेगा।**

## **सामाजिक परिवर्तन से सरोकार रखने वाली विधियाँ**

**सामाजिक परिवर्तन से सरोकार रखने वाली विधियाँ** उन कानूनी प्रावधानों का समूह हैं जो समाज में व्याप्त बुराइयों और असमानताओं को समाप्त करने, सामाजिक न्याय की स्थापना करने, और समाज को एक सशक्त और प्रगतिशील दिशा में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इन विधियों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को सुरक्षा और न्याय दिलाना है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन से संबंधित विधियाँ हैं:

### **1 भारत का संविधान**

**भारत का संविधान** (Indian Constitution) एक विस्तृत और लिखित संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक माना जाता है।

### **मुख्य विशेषताएँ**

#### **1. लिखित संविधान:**

भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत दस्तावेज़ है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद (मूल संविधान में) और 8 अनुसूचियाँ थीं। समय-समय पर संशोधनों के बाद इसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

#### **2. संविधान की प्रस्तावना:**

संविधान की प्रस्तावना भारत को **संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य** घोषित करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व की गारंटी देती है।

#### **3. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):**

भारतीय नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं:

- समानता का अधिकार (Right to Equality)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

#### **4. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):**

42वें संशोधन (1976) के माध्यम से नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया।

#### **5. निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy):**

ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

#### **6. संघात्मक संरचना:**

भारत संघीय व्यवस्था को अपनाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है।

#### **7. संविधान का लचीलापन और कठोरता:**

संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया कुछ मामलों में कठिन और कुछ में सरल है, जिससे यह

लचीलापन और कठोरता का मिश्रण बनता है।

#### 8. विशेषाधिकार प्राप्त राज्य:

संविधान जम्मू और कश्मीर (अनुच्छेद 370, जो अब हट चुका है) जैसे विशेषाधिकार प्राप्त राज्यों के प्रावधान भी प्रदान करता था।

#### 9. स्वतंत्र न्यायपालिका:

भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यह कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर काम करती है।

#### 10. लोकतंत्र की स्थापना:

संविधान संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।

### संविधान के निर्माण की प्रक्रिया

- संविधान सभा का गठन: 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई।
- प्रारूप समिति का गठन: इसकी अध्यक्षता **डॉ. भीमराव अंबेडकर** ने की, जिन्हें भारतीय संविधान का "मुख्य शिल्पकार" (Architect of the Indian Constitution) कहा जाता है।
- समय: संविधान को बनाने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- उद्देश्य: एक ऐसा संविधान तैयार करना, जो भारत की विविधता और समाज की जरूरतों को समेट सके।

### संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन

1. **42वाँ संशोधन (1976):** इसे "मिनी संविधान" भी कहा जाता है। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए।
2. **44वाँ संशोधन (1978):** संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया।
3. **73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992):** पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

### संविधान का महत्व

भारतीय संविधान न केवल कानूनी दस्तावेज़ है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता, और बंधुत्व सुनिश्चित करने का माध्यम है। यह सामाजिक परिवर्तन का आधार है और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है।

भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो देश की विविधता, संस्कृति, और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे समय-समय पर संशोधित करके प्रासंगिक बनाए रखा गया है।

#### 2. सती प्रथा निवारण क़ानून (The Sati Prevention Act, 1829)

- **विवरण:** सती प्रथा, जो विधवाओं को उनके पतियों की मृत्यु के बाद उनके साथ जलाने की घातक प्रथा थी, को समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय की पहल पर भारत में 1829 में सती निवारण क़ानून पारित किया गया।
- **उद्देश्य:** इस क़ानून का उद्देश्य सती प्रथा को रोकना और विधवाओं के जीवन को सुरक्षित बनाना था।

#### 3. बहु विवाह निषेध क़ानून (The Prohibition of Bigamy Act, 1856)

- **विवरण:** इस क़ानून के तहत एक व्यक्ति को दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक लेना अनिवार्य किया गया।
- **उद्देश्य:** बहु विवाह की प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं को समान अधिकार देना।

#### 4. बाल विवाह निषेध क़ानून (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

- **विवरण:** यह क़ानून बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के बीच विवाह को अवैध और दंडनीय अपराध माना गया।
- **उद्देश्य:** बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और शिक्षा तथा व्यक्तिगत विकास में बाधा डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना।

#### 5. दहेज निरोधक क़ानून (The Dowry Prohibition Act, 1961)

- **विवरण:** दहेज की प्रथा को समाप्त करने के लिए यह क़ानून पारित किया गया। इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं।
- **उद्देश्य:** दहेज प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं को शोषण से बचाना।

#### 6. कन्या भ्रूण हत्या निषेध क़ानून (The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994)

- **विवरण:** कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन को रोकने के लिए यह क़ानून लागू किया गया। इसके तहत लिंग चयन की जांच करना और महिला भ्रूण की हत्या करना अपराध माना गया।
- **उद्देश्य:** महिला भ्रूण की रक्षा करना और लिंग भेदभाव को समाप्त करना।

#### 7. मृत्यु भोज निषेध क़ानून (The Prohibition of Funeral Rites Act)

- **विवरण:** मृत्यु भोज, जिसमें मृतक के परिवार द्वारा बड़ा भोज दिया जाता था, को समाप्त करने के लिए क़ानून बनाया गया। यह प्रथा समाज में असमानता और व्यर्थ खर्च को बढ़ावा देती थी।
- **उद्देश्य:** सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना और असमानताओं को समाप्त करना।

#### 8. अस्पृश्यता निवारण क़ानून (The Untouchability Offences Act, 1955)

- **विवरण:** यह क़ानून अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने और अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया।
- **उद्देश्य:** जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना।

#### 9. श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के क़ानून

- **विवरण:** श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई क़ानून बनाए गए हैं, जिनमें मंहगाई भत्ते, न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के उपाय शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** श्रमिकों की भलाई, उनके जीवन स्तर में सुधार और शोषण से बचाव करना।

#### 10. महिला संरक्षण क़ानून (Women's Protection Laws)

- **विवरण:** महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न के खिलाफ विभिन्न क़ानून बनाए गए हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005), यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013) और अन्य महिला सुरक्षा क़ानून।
- **उद्देश्य:** महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा प्रदान करना।

#### निष्कर्ष:

ये सभी क़ानून समाज में व्याप्त बुराइयों और असमानताओं के खिलाफ एक ठोस कदम हैं। इन क़ानूनों का उद्देश्य न केवल दंड देना है, बल्कि समाज में जागरूकता और बदलाव लाना है, जिससे एक सशक्त और समान समाज की स्थापना हो सके। इन विधियों ने समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव लाए हैं और ये समाज के हर वर्ग को समानता, सुरक्षा और न्याय की गारंटी प्रदान करते हैं।

